07-07-25 पत्रावली पेश हुई। वकील उअपपक्ष उप० 1 वकील उअपपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उअपपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्या सोनी)
RAS.